<u>प्रेस – नोट थाना खजनी जनपद गोरखपुर दिनांक 05-06-2021</u> हत्या व हत्या के प्रयास के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के दिशा निर्देशन में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खजनी के कुशल नेतृत्व में थाना प्रभारी खजनी द्वारा थाना खजनी जनपद गोरखपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 97/21 धारा अंर्तगत 147, 148, 149, 302, 307, 120बी भादिव व 7 CLA ACT के वाँछित अभियुक्त की गिरफ्तारी की गयी है।

थाना खजनी जनपद गोरखपुर के ग्राम मिश्रौलिया में दिनांक 14.04.2021 को गांव मिश्रौलिया के प्रधान पद के प्रत्याशी राघवेन्द्र नारायण दूबे पुत्र स्व0 पौहारी शरण दूबे नि0 परसाडाड़ थाना खजनी गोरखपुर को विपक्षी प्रधान प्रत्याशी शम्भू यादव पुत्र लखराज यादव ग्राम परसाडाड खजनी गोरखपुर द्वारा चुनावी रंजिश को लेकर जान मारने की नियत से अपने सहयोगियों के साथ गोली मार दिया था, शम्भू यादव व देवेन्द्र यादव पुत्र स्व0 जवाहिर लाल निवासी ग्राम परसाडाड थाना खजनी, जनपद गोरखपुर उम्र करीब 30 वर्ष व अभिषेक पुत्र स्व0 प्रभुनाथ निवासी ग्राम परसाडाड थाना खजनी, जनपद गोरखपुर को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा उसके अन्य एक सहयोगी को दिनांक 05.06.21 को प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार मौर्य मय हमराह फोर्स के मुखबिर की सूचना पर महुआडाबर कस्बा तिराहे से समय 10.15 बजे से गिरफ्तार किया गया

गिरफ्तार अभियुक्त-

अभिषेक उर्फ टीसू पासवान पुत्र कृष्ण मोहन पासवान निवासी ग्राम बरडाड़ थाना खजनी जनपद गोरखपुर

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0- 97/21 धारा अंर्तगत 147, 148, 149, 302, 307, 120बी भादवि व 7 CLA ACT

गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी व कर्मचारीगण-

- 1. प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार मौर्य
- 2. हे0कां0 सजय सिंह
- 3. कां0 अजय कुमार
- 4. रि0कां0 प्रदीप कुमार सिंह
- 5. म0कां0 दीक्षा शुक्ला